पत्रांक–7/मलेरिया–23–01/2012 – 37 (7) ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ–सह–नियंत्री पदाधिकारी,
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक : 7-8-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–N2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में मजदूरी(02–01) एवं कार्यालय व्यय (13–01) इकाई में कुल ₹ 33,02,500/– (तैतीस लाख दो हजार पॉच सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश सं0– 23(7)ब दिनांक–3.05.12 एवं 31(7)ब दिनांक–27.06.12 एवं मांग पत्रों के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में मजदूरी(02–01) एवं कार्यालय व्यय (13–01) इकाई में कुल ₹ 33,02,500/– (तैतीस लाख दो हजार पॉच सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–N2210061010003 के अन्तर्गत आय–व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सह नियंत्री पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सधन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय ।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. विवरणी में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु नवादा/ गया/ रोहतास/ कैमूर/ औरंगाबाद/ मुंगेर एवं जमुई को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया जा रहा है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे ।

8. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

7/8/2012

9. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9)दिनांक–18.02.99,142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा

10. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

7/8/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 37(7) ख पटना, दिनांक : 7-8-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7/8/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

E\dasjeMalaria 2

विवरणी

व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210061010003 अन्तर्गत उल्लेखित प्राथमिक इकाईयों में नवादा/गया/रोहतास/कैमूर/औरंगाबाद/मुंगेर एवं जमुई जिले का वित्तीय वर्ष 2012–13 में अतिरिक्त आवंटन ।

क्रमांक	जिला का नाम	मजदूरी (02–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	नवादा	269500	50000	319500	उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ –सह– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मलेरिया / कालाजार, बिहार, पटना का पत्रांक–830 दि0– 4.7.12 एवं जिला मलेरिया पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–213 दिनांक 03.07.12 के क्रम में।
2	गया	156000	26000	182000	
3	रोहतास	305000	50000	355000	
4	कैमूर	606500	65000	671500	
5	औरंगाबद	509500	16000	525500	
6	मुंगेर	364000	30000	394000	
7	जमुई	790000	65000	855000	
	कुल योग :–	**3000500**	**302000**	**3302500**	

(तैतीस लाख दो हजार पॉच सौ) रूपये मात्र

7/8/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	138027000	113300000	0	113300000	24727000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	92478000	67980000	0	67980000	24498000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	15814000	11803000	0	11803000	4011000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	407000	400000	0	400000	7000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	1692000	1133000	0	1133000	559000
6	अन्य भत्ता (01–07)	1582000	1133000	0	1133000	449000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**250000000**	**195749000**	**0**	**195749000**	**54251000**
7	मजदूरी (02–01)	6000000	2999500	3000500	6000000	0
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	500000	390380	0	390380	109620
9	यात्रा व्यय (11–01)	1200000	600000	0	600000	600000
10	कार्यालय व्यय (13–01)	1170000	567000	302000	869000	301000
11	दूरभाष (13–03)	234000	115000	0	115000	119000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	500000	205000	0	205000	295000
13	विधि प्रभार (13–05)	100000	58000	0	58000	42000
14	वर्दी/ पोषाक (13–06)	306000	104500	0	104500	201500
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	300000	168000	0	168000	132000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	228000	116000	0	116000	112000
17	दवा भण्डार (21–02)	1200000	601200	0	601200	598800
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
19	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	2400000	870000	0	870000	1530000
	कुल योगः–	**264139000**	**202543580**	**3302500**	**205846080**	**58292920**

7/8/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

37 (7) ब

7-8-12